3,39,500 RV

3688/DB

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

738343

31 MAY 2008

31
5784
27

बयनामा

बयनामा	10,78,500/–रू0
मालियत	33,91,500/–रू0
स्टाम्प	3,39,500/–रू0

हम कि दीप नरायन वर्मा पुत्र स्व0 श्री बृज नरायन निवासी सम्भली गेट शहर व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता)

D.N. Verma

Verma

31 MAY 2008

आज दिनांक .....को एक बिक्री
लम्बर्दार ..... मय बयाना ..... बी .....
को कोषागार मुरादाबाद से निर्गत किया।

मुख्य रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 738342

31 MAY 2008

एवम् लाम लक्ष्मी इन्वेस्टमेण्ट प्रा0 लि0 जी–8, विकासदीप **बिल्डिंग** डिस्ट्रिक्ट सेन्टर लक्ष्मी नगर दिल्ली द्वारा प्रबन्धक मयंक महेश्वरी पुत्र श्री सतीश चन्द्र महेश्वरी **द्वितीय पक्ष** (क्रेता), के हैं।

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी रकबई 1.611 हेक्टे0 मुताल्लिका खाता सं0 200 खसरा सं0 866ग कुल रकबई

31 MAY 2008

आज दिनांक ..... को एक बिल्टी
स्टाम्प धनराशि 2500 मुल्य धनराशि 33500
की Labh Lal ..... Investments (P) Ltd.
को कोषागार मुरादाबाद से निर्गत किया।

मुख्य रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद

[illegible] निवासी विजयनगर दिल्ली
[illegible] ने यह लेख पत्र लक्ष्मीलाल दिल्ली
[illegible] पक्षज दिन
दिनांक 16-6-08 का समय
[illegible] दाबाद में प्रस्तुत किया।

16.6.08

30/8000/ सौ
[illegible]
[illegible] नरायन
[illegible] नरायन [illegible]
[illegible] चतुर्भान [illegible]
[illegible] विजय सिंह
[illegible]
[illegible]

16.6.08

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

738341

31 MAY 2008

6.180 हेक्टे0 लगानी सालाना 157.50 रू0 जिस पर विक्रेता दीप नरायन वर्मा मालिक हैं स्थित ग्राम मनोहरपुर **तहसील व जिला मुरादाबाद** जिस पर विक्रेता बहैसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील हैं तथा प्रथम **पक्ष** को इस आराजी की बावत विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा प्रथम पक्ष को अपने भाग को विक्रय करने में किसी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

738340

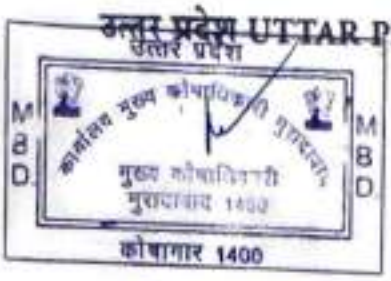

31 MAY 2013

प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नही है। विक्रय की जानी वाली भूमि इस वक्त तक हर किस्म के बार, लोन सरकारी, गैर सरकारी, कुर्की, नीलामी वगैरा से कतई बरी व पाक साफ है। गरज यह कि विक्रीत आराजी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है न ही इस आराजी पर किसी प्रकार का कोई बकाया आदि है तथा न ही अन्य व्यक्ति का विक्रय

D.N. Varma

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

738339

31 MAY 2008

की जाने वाली सम्पत्ति कोई हक व हिस्सा है। इस सम्पत्ति को हस्तांतरित करने में प्रथम पक्ष (विक्रेता) पूर्णतया सक्षम है कोई अम्रमाने इन्तकाल हाजा नहीं है। चूंकि इस सम्पत्ति की कीमत भी मुनासिव मिल रही है लिहाजा प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने बहालत दुरूस्ती होश हवास खमसा बिना बहकाये व सिखाये बिना दबाब नजायज किसी के खूब सोंच

D.N. Varma

Varma

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 738338

31 MAY 2008

समझकर तमामी शय मुबईया मजकूर हर किस्म व मय हक रास्ता आमदोरफ्त व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिक उनको बिना छोड़े किसी जुज व हक बिल ऐवज मुबलिग 10,78,500/–रूपये (दस लाख अठत्तर हजार पॉच सौ रू0) आधे जिसके मुबलिग 5,39,250/–रूपये (पॉच लाख उन्तालीस हजार दो सौ पचास रू0) होते है द्वितीय

D.N. Verma

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 738337

उत्तर प्रदेश
मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400
कोषागार 1400

31 MAY 2008

पक्ष क्रेता (लाभ लक्ष्मी इन्वेस्टमेण्ट प्रा० लि० जी–8, विकासदीप बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट सेन्टर लक्ष्मी नगर दिल्ली द्वारा प्रबन्धक मयंक महेश्वरी पुत्र श्री सतीश चन्द्र महेश्वरी) को बय और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन उसका तफ्सील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमामी शय मुबइया मजकूर वाला का कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 738336

31 MAY 2008

(क्रेता) को दे दिया है आज के बाद से आराजी मजकूर की बाबत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसान प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं बाकी नहीं रहा है और न ही आइन्दा होगा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले तथा यहाँ पर यह

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 738335

31 MAY 2008

उल्लेखनीय है कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को इस बात से भली भाँति अवगत करा दिया है कि विक्रय की गई उपरोक्त आराजी को उ0 प्र0 अधिकतम जोत सीमा अरोपण अधिनियम के अंतर्गत सीमाधिक्य घोषित कर दिया गया था। तदुपरान्त प्रथम पक्ष ने अपने भाईयों के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की थी। जिसमें

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

738334

-10-

31 MAY 2008

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में सक्षम प्राधिकारी ग्रामीण सीलिंग मुरादाबाद के आदेश दिनांक 30–04–1992 ई0 तथा माननीय मण्डलायुक्त महोदय द्वारा उनके न्यायालय में दाखिल अपील में पारित आदेश दिनांक 12–08–1992 ई0 को अपास्त कर दिया गया है क्रेता (द्वितीय पक्ष) को उक्त मुकदमें का पूर्ण ज्ञान है तथा इस

D.N. Verma

N Gupta

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 738333

उत्तर प्रदेश
कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400
कोषागार 1400

31 MAY 2008

विक्रय पत्र के निष्पादन व पंजीकरण की दिनांक को **उक्त विक्रय** की जा रही भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार **का कोई विवाद किसी भी न्यायालय में लम्बित नही है परन्तु** यदि भविष्य में **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के** आदेश दिनांक 18-01-2008 ई0 के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी ग्रामीण सीलिंग मुरादाबाद या राज्य **सरकार द्वारा विशेष**

D.N. Verma

Verma

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

738332

31 MAY 2008

अनुमति याचिका योजित की जाती है तो क्रेतागण उक्त विशेष अनुमति याचिका में पूर्ण रूप से पैरवी करेंगे तथा प्रथम पक्ष उन्हे पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। विशेष अनुमति याचिका योजित होने की स्थिति में क्रेतागण के अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार होंगे। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष के विरूद्ध निर्णय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

382503

31 MAY 2008

पारित किया जाता है तदनुसार क्रेतागण को विक्रय की जा रही आराजी से हटना पड़ता है अथवा उन्हे कोई क्षति होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेतागण की होगी। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को इस सम्बन्ध में हुये नुकसान की भरपाई करने के पाबन्द नही होंगे। अगर बाद को किसी वक्त में उक्त वर्णित सीलिंग के मुकदमें के अतिरिक्त अन्य किसी

D.N. Varma

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081660

31 MAY 2008

फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जख्वाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) को कुछ सर्फा मजीद खर्चा या अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 707632

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद 1400

31 MAY 2008

समन की वापसी प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हरजे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा। सीलिंग की कार्यवाही के अतिरिक्त आज तक की तमामी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होंगी अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व

D.N. Varma

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 707633

मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400

31 MAY 2008

अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज नही होगा पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर **श्री एस0 माथुर एडवोकेट** ने सत्यापित किये हैं।

Dr. Mathur

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 707634

मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400

31 MAY 2008

नोटः–विक्रीत आराजी का मूल्याकंन, मूल्याकंन सूची के परिशिष्ट 1 उपखण्ड "ग" की क्रम सं0 13 के अनुसार 8,50,000/–रू0 प्रति एकड़ निर्धारित है। तदनुसार स्टाम्प

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 707635

मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400

31 MAY 2008

अदा किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। इस विक्रय पत्र के द्वारा 1.611 हेक्टे0 भूमि विक्रय की जा रही है। आराजी पूर्णतः खेती की

भूमि है मौके पर तथा आसपास खेती हो रही है आराजी में कोई पेड़ कूप भवन आदि नही हैं। विक्रीत आराजी सड़क से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

तफ्सील वसूली जरे समन मुबलिग 10,78,500/– रू0 बजरिये चैक सं0 975781 दिनांक 14–06–2008 ई0 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला चौमुखा पुल मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त कर लिये है।

ह0 विक्रेता

ह0 क्रेता

साक्षी

साक्षी

बयनामा हाजा आज दिनांक 16–06–2008 ई0 को बमुकाम मुरादाबाद बइकरार पक्षकारान वमशवरा **श्री एस0 माथुर एडवोकेट** सचिन मिश्रा ने टाईप किया।

मद्देनजर आराजी वाकअत भूमि खसरा संख्या 866ग रकबा 1.01 हे० ग्राम मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद

इकरारी :- श्री दीप नारायन वर्मा

मौकूमा :- आभ लक्ष्मी इन्वेस्टमेन्ट प्रा० लि०

नोट :- विक्रीत भूमि की 200.0 मी० की त्रिज्या में खेती हो रही है